

पत्रांक-7/औषधि-07-01/2018- 31(7)0

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना

पटना, दिनांक : 17-09-18

विषय: स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 06-लोक स्वास्थ्य-104-औषधि नियंत्रण-0001 औषधि नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड 20-2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कार्यालय व्यय (13-01) मद में कुल-₹ 95,32,574/- (पंचान्चे लाख बत्तीस हजार पाँच सौ चौहत्तर रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/ विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या-22(7)ब दिनांक-14.06.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कार्यालय व्यय (13-01) मद में कुल-₹ 95,32,574/- (पंचान्चे लाख बत्तीस हजार पाँच सौ चौहत्तर रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

- सम्बन्धित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।
- आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 06-लोक स्वास्थ्य-104-औषधि नियंत्रण-0001 औषधि नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड 20-2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबन्धित राशि से तथा प्रथम अनुपूरक आगणन (वित्त विभाग के पत्रांक-591D ब15/बी0एस0जी0-75/2018(खंड)-662/वि० दिनांक-02.08.18) के तहत प्राप्त राशि से निकासी किया जायेगा ।
- इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।
- कय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 96(9) दिनांक 18.02.99, 142(9) दिनांक 15.03.2001, 241(9) दिनांक 21.05.2002, 379) दिनांक 16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा ।
- आवंटित राशि से किए गए कय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
- राशि का विचलन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा ।
- यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- संबन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं० एवं तिथि के साथ कर समेकित कर तथा सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
- इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासमाजन,




(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव
किरीट

ज्ञापांक : 31(7)9

पटना, दिनांक : 17 - 09 - 18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/ संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

विवरणी

राज्य औषध नियंत्रक, बिहार, पटना के लिए अतिरिक्त आवंटन :-

क्रमांक	कोड एवं प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	9532574	मुख्यालय/राज्य में कार्यरत औषधि नियंत्रण संवर्ग सेवा के सभी पदाधिकारियों की ऑनलाईन कार्यों के निष्पादन के लिए लैपटॉप उपलब्धता हेतु
	कुल	9532574	

(पंचान्वे लाख बत्तीस हजार पाँच सौ चौहत्तर रुपये मात्र)

Q. 1/18

सरकार के विशेष सचिव

बिनोद

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित (*प्रथम अनुपूरक सहित) राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0001-01-01)	90000000	46750000	0	46750000	43250000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	10000000	5200000	0	5200000	4800000
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	21143000	8695500	0	8695500	12447500
4	परिवहन भत्ता (000101-05)	509000	300000	0	300000	209000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	2544000	1147500	0	1147500	1396500
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	9307000	4225000	0	4225000	5082000
	योग 20-2210.06.104.0001.01 वेतन	133503000	66318000	0	66318000	67185000
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	82778	0	82778	917222
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	612000	275000	0	275000	337000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)*	10500000	570000	9532574	10102574	397426
10	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव(0001-13-02)	100000	50000	0	50000	50000
11	दूरभाष (0001-13-03)	20000	10000	0	10000	10000
12	विधि प्रभार (0001-13-05)	1000000	528000	0	528000	472000
13	वर्दी/पोषाक (0001-13-06)	50000	30700	0	30700	19300
14	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	1650000	0	0	0	1650000
15	सामग्री एवं पूर्तियों (0001-21-01)	200000	97000	0	97000	103000
16	दवा भंडार (0001-21-02)	50000	0	0	0	50000
17	संविदा सेवाएँ (0001-28-02)	100000	50000	0	50000	50000
18	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	500000	0	0	0	500000
	कुल योग	149285000	68011478	9532574	77544052	71740948

31/7/18

17-09-18

Q. 1/18

सरकार के विशेष सचिव

बिनोद